न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 77/2022

दायर दिनांक–02–05–2022

1– अर्जुन सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

2– सुरेश कंवर पत्नी श्री इन्दर सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

.......वादीगण

बनाम

1– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

.......प्रतिवादी

वकील वादीगण : – श्री पंकज कुमार जाँगिड़, श्री दयाराम सैनी
वकील प्रति. :– एकपक्षीय

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 24.05.2022

वादीगण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम गोठड़ा पटवार हल्का गोठड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 470, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.92, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.26 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेगी, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अभयसिंह पुत्र छोगसिंह, गुलाब कंवर पत्नी रेवतसिंह, निरूसिंह, रिछपालसिंह पुत्रगण रेवतसिंह, गिरधारीसिंह, मूलसिंह, रघूवीरसिंह पुत्रगण भंवरसिंह, सुप्यार कंवर पत्नी भंवरसिंह, प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह, मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह, सुरेश कंवर पत्नी इन्दरसिंह के नाम दर्जशुदा चली आ रही है। नकल जमाबन्दी, नकल विक्रय–पत्र, नकल नामान्तरण दावे के साथ प्रस्तुत है।

यह कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार नरपत सिंह व शायर सिंह पुत्र छोगसिंह ने अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 2/6 सम्पूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र वादीया नं. 2 को विक्रय कर दिया था, जो राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 1381 दिनांक 20.05.2014 को वादीया नं. 2 के नाम से सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 2/6 दर्ज हो गया। उक्त हिस्सा दर्ज होने के बाद वादीया नं. 2 ने उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान् में से खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में अपने नाम दर्ज हिस्सा 2/6 में से हिस्सा 11/40 यानि हिस्सा 11/120 को प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह को विक्रय कर दिया तथा शेष हिस्सा 29/120 वादीया नं. 2 के हक में रह गया। परन्तु राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों ने उक्त विक्रय–पत्र से नामान्तरण संख्या 1413 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में वादीया नं. 2 का हिस्सा 7/120 दर्ज कर दिया तथा प्रेम कंवर का हिस्सा 11/40 दर्ज कर दिया, जो गलत दर्ज किया गया; जबकि प्रेम कंवर का हिस्सा ही उक्त खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में 2/6 में से 11/40 यानिकि 11/120 दर्ज होना चाहिये था तथा 29/120 हिस्सा वादीया नं. 2 का [illegible] चाहिये था। इसके बाद राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा संवत् 2075–2078 की जमाबन्दी बनाते समय उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह का हिस्सा 11/40 व वादीया नं. 2 का हिस्सा 7/120 गलत दर्ज कर दिया जिससे वादीया नं. 2 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कम दर्ज हो गई जबकि प्रेम कंवर का हिस्सा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में 11/120 है। वादीगण ने बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल दिनांक 02.03.2022 को प्राप्त की तब वादीगण को उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड का पता चला कि उक्त भूमि में वादीया नं. 2 की भूमि कम दर्ज हो गई तथा वादी नं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के पूर्ण अधिकारी है। इसलिये वादीगण के लिये यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:05 IST
Reason: Self Attested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

यह कि जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह हिस्सा 0.45, अभयसिंह पुत्र छोगसिंह हिस्सा 0.15 हिस्सा 1/6 दर्जशुदा थी। उक्त अभयसिंह पुत्र छोगसिंह ने अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 1/6 में से 1/4 यानि हिस्सा 1/24 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 02.06.2014 को वादी नं. 1 को विक्रय कर दिया और वादी नं. 1 उक्त हिस्से का कब्जा प्राप्त करके क्रय के रोज से ही काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है, काश्त करता है। इस वाद में अन्य सह–खातेदारो से कोई विवाद नहीं है तथा न ही उनके हिस्से 1/2 के संबंध में वाद–पत्र है। परन्तु वादी नं. 1 का नाम उसके द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही हुआ है, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2075–78 में अभयसिंह पुत्र छोगसिंह हिस्सा 1/12 व मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह हिस्सा 1/12 गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है; जबकि अभयसिंह का हिस्सा ही 1/24 था जिसको वादी नं. 1 को अभयसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 02.06.2014 को विक्रय कर दिया तथा मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह का हिस्सा 3/24 है। वादी नं. 1 ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करवाने हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तो ही आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सकता है। जबकि वादी नं. 1 अपने पक्ष में तस्दीक हुये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकारी है। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 470, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.92, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.26 हैक्टर में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 02.06.2014 के आधार पर वादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह को हिस्सा 3/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है व गलत रूप से दर्ज वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से अभयसिंह पुत्र छोगसिंह का नाम हटाया जाना न्यायोचित है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.34 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 2/6 का खातेदार काश्तकार तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 29/120 का व प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह को हिस्सा 11/120 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो के हिस्से यथावत रखे जाने आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिये वादीगण के लिये यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 02.03.2022 को वादीगण ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तो ही आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्त हो सकता है। पटवारी हल्का द्वारा इंकार करने के रोज बमुकाम गोठड़ा पैदा हुआ। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है, जो आवश्यक पक्षकार होने से उसे वाद में प्रतिवादी बनाया गया है।

वादी द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया है कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से डिक्री किया जावें कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 470, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.92, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.26 हैक्टर में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 02.06.2014 के आधार पर वादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह को हिस्सा 3/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व गलत रूप से दर्ज वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से अभयसिंह पुत्र छोगसिंह का नाम हटाया जावें तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.34 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 2/6 का खातेदार काश्तकार तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 29/120 का व प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह को हिस्सा 11/120 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी हिस्सेनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो के हिस्से यथावत रखे जावें। इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावें। अन्य सिद्धि

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:06 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

जो चाही जाने से रह गई हो और वादीगण के हक में पड़ती हो वह दिलवाई जावें। खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें।

वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई, प्रतिवादी सम्यक रूप से तलबी होने के बावजूद उसकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में होने पर तनकीयात कायम नही की गई। शहादत वादी में वादी श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी गोठड़ा उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया जो पीडब्ल्यू–1 है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2075–78 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 प्रदर्श–2, विक्रय–पत्र दिनांक 02.06.2014 प्रदर्श–3, नकल नामान्तरण सं. 1413 प्रदर्श–4, नकल विक्रय–पत्र दिनांक 10.06.2014 प्रदर्श–5 प्रदर्शित कराये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का तथा उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 470, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.92, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.26 हैक्टर में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 02.06.2014 के आधार पर वादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का खातेदार तथा मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह को हिस्सा 3/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है व गलत रूप से दर्ज वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से अभयसिंह पुत्र छोगसिंह का नाम हटाया जाना न्यायोचित है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.34 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 2/6 का खातेदार काश्तकार तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 29/120 का व प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह को हिस्सा 11/120 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो के हिस्से यथावत रखे जाने न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी पूर्णतया साबित होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम गोठडा स्थित खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 470, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.92, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.26 हैक्टर में वादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार तथा मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह को हिस्सा 3/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है व गलत रूप से दर्ज वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से अभयसिंह पुत्र छोगसिंह का नाम हटाया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.34 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 2/6 का खातेदार काश्तकार तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 29/120 का व प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह को हिस्सा 11/120 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो के हिस्से यथावत रखे जाते है। इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय का तहरीर जावे की निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:05 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

मुकदमा सं0:– 77/2022 (अर्जुन सिह बनाम लैण्ड होल्डर आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.05.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम गोठडा स्थित खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 470, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.92, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.26 हैक्टर में वादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार तथा मदनसिंह पुत्र पूर्णसिंह को हिस्सा 3/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है व गलत रूप से दर्ज वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से अभयसिंह पुत्र छोगसिंह का नाम हटाया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1268, 1269, 1353/555, 514, 524, 525, 526, 527, 528 रकबा क्रमशः 0.05, 0.29, 0.06, 0.08, 0.29, 0.08, 0.11, 0.30, 0.08 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.34 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 2/6 का खातेदार काश्तकार तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 0.92 हैक्टर में वादीया नं. 2 को हिस्सा 29/120 का व प्रेम कंवर पत्नी मनोहरसिंह को हिस्सा 11/120 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो के हिस्से यथावत रखे जाते है। इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसब्क्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.05.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:05 IST
Reason: SelfAttested